न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO),भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 06/22 (वि.प्रा.पत्र)

GCMS No: 2022/157

1. श्री खुमाण पिता लाला मीणा नि. खेडाफला तह. भीण्डर।

...........अपीलांट

बनाम्

1. श्री ग्राम पंचायत धावड़िया वर्तमान ग्राम पंचायत नागलिया।

.............रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 01.08.2022

1. अपीलांट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नागलिया पटवार मण्डल धावड़िया के नामान्तरण संख्या 243 को दायर व स्वीकृत करते समय तत्कालीन खातेदार ऊंकार पिता दुदा की विरासत में मुझ अपीलांट का नाम सहवन से दर्ज होने से रह गया। वर्तमान में मेरे दोनो भाइयों मांगू, केथु पिता लाला का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

2. अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त नामान्तरण संख्या 243 की अपील स्वीकार करते हुए मेरा नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने का श्रम करना फरमावें।

3.पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। विपक्षी ग्राम पंचायत धावड़िया की ओर से सरपंच तेजूडी बाई द्वारा नामान्तरण संख्या 243 में खुमाण पिता लाला का नाम दर्ज होने से रहने की बात को स्वीकार किया व अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने में कोई आपति नहीं जताई।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अपीलांट की बहस को सुना। नामान्तरण संख्या 243 ग्राम पंचयात धावडिया द्वारा पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट द्वारा जानकारी में आते ही उक्त अपील मियाद अन्दर न्यायालय में प्रस्तुत करना बताया है। अतः जानकारी से अपील अन्दर मयाद होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में खातेदार ऊंकार पिता दुदा की वारिसान में नामान्तरण संख्या 243 में अपीलांट का नाम सहवन से दर्ज होने से रह गया है। विपक्षी द्वारा अपीलांट की अपील को स्वीकार किये जाने पर कोई आपति नहीं जताई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत धावडिया द्वारा पारित नामांतरण संख्या 243 में अपीलांट का नाम सहवन से दर्ज होना रह गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:52:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त नामांतरण संख्या 243 खारीज योग्य पाया जाता है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत धावडिया द्वारा पारित नामांतरण संख्या 243 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार भीण्डर को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर आदेशित किया जाता है कि खातेदार ऊंकार पिता दुदा की विरासत में अपीलांट का नाम दर्ज कर नामांतरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2022 को खुले ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

1/8/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर, जिला-उदयपुर(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:52:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner